तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5776/2002/टोंक गंगादेवी वगैरहा बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–
श्री सुनील पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार
अप्रार्थी संख्या 6 का नाम तर्क किया गया।

निर्णय
दिनांकः– 22–01–2020

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–08–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय ने प्रार्थीगण के आलोच्य प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमीश्नर को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि बंदोबस्त विभाग द्वारा भूमि की किस्म बदलकर खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम गलत तौर पर अंकित कर दी गई। जबकि आराजी से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण ने आलोच्य प्रार्थना पत्र के जरिये यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि मौका निरीक्षण हेतु कमीश्नर नियुक्त कर वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया है और इस प्रार्थना पत्र में यह विवेचित किया कि खसरा संख्या 957 में से रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा ग्राम पंचायत के नाम उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के आदेश के द्वारा अंकित कर दी गई। यहीं वर्तमान बंदोबस्त में खसरा संख्या 897 बने जिसका रकबा –22 हैक्टर कायम हुआ और भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5776/2002/टोंक गंगादेवी वगैरहा बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आबादी होते हुए भी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्गनत रकबे पर प्रार्थीगण का मकान व बाडे बने हुए है और ऐसी भूमि को उपखण्ड अधिकारी ने गैरमुमकिन आबादी में किस्म परिवर्तित करते हुए ग्राम पंचायत के नाम अंकित कर दी। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–08–2002 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमीश्नर को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है तथा बताया कि विधि सम्मत आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने किन्हीं नवीन तथ्यों को निगरानी में समाहित नहीं किया है, अतः इस कारण प्रार्थीगण हस्तगत निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अन्त में उन्होंने निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

उपराजकीय अधिवक्ता ने भी विपक्षी की बहस का समर्थन करते हुए आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत होना कहते हुए प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवदेन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने मौका कमीश्नर के प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार विवेचित किया हैः–

''साबिक खसरा संख्या 957 में से 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तित हुई है, उसी जगह प्रतिवादी को भू प्रबन्ध द्वारा खातेदारी दी गई है। चूँकि इस वाद में राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादीगण का जवाब नहीं आया है, अतः न्यायहित में मौके की रिपोर्ट आवश्यक है।''

उपरोक्त अंकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5776/2002/टोंक गंगादेवी वगैरहा बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि पर अपने कब्जे को प्रमाणित करने के उद्देश्य से कमीश्नर नियुक्त करवाने चाहते हैं। निगरानी मीमो में साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य को विधिसम्मत अंकित किया है, जिससे हम प्रथम दृष्टया ही सहमत नहीं है। वादी को अपने वाद को दस्तावेजों से प्रमाणित करवाना चाहिए तथा इन्द्राज दुरूस्ती दस्तावेजात के आधार पर ही सम्भव है। प्रार्थीगण का आक्षेप है कि मौके पर उनके मकान व बाडे बने हुए है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त साक्ष्य को पुनः प्राप्त कर उसे सबल बनाने एवं उसकी कमी-पूर्ति करने की आज्ञा पक्ष विशेष के हक में दी जाए। न्यायालय के लिए दोनों पक्ष समान है, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण होना समीचीन है। कब्जा सम्बन्धी मौका रिपोर्ट पक्ष विशेष के हक में कब्जा प्रमाणित करने के लिए कमीश्नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। निगरानी विधिक दृष्टि से मीमो में अंकित अभिवचन के आधार पर ही हमें स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः हम इस निगरानी को सारहीन/बलहीन मानते हुए इसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन व बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-08-2002 को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय विचाराधीन वाद में आगामी विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5776/2002/टोंक गंगादेवी वगैरहा बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए